<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

सुनील पारीक बनाम लो.सू.अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा)

सू.अ.अ.अपील सं0 121/2023 (ऑनलाईन नं.)</th><th>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>24.08.23</td><td>अपीलार्थी सुनील पारीक, निवासी सेक्टर एच, हाउस नं. 31, शास्त्रीनगर वार्ड नं. 50, जोधपुर जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.03.23. में उसके द्वारा (1) सरकारी राजस्व रेकर्ड में पुजारियों के विलोपित नाम पुनः राजस्व रिकॉर्ड में जोड़े जाने के संबंध में कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 08.02.2023 को पत्र क्रमांक राजस्व/2023/563–597 जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारीगण तथा संबंधित तहसीलदारों को राजस्थान राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार आदेशित किया गया था, आज दिनांक तक संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों द्वारा जिला कलक्टर जोधपुर को नियमानुसार प्रेषित अद्यतन आधिकारिक अनुपालना रिपोर्ट, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से जरिये पत्रांक 125 दिनांक 07.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक उखअबि/सूचना अधिकारी/2023/120 दिनांक 04.08.23 द्वारा निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने अपील दायर करने के पश्चात् अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की गई अतः संबंधित लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में करे। उपरोक्तांनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</td><td></td></tr>
</table>